भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1638
जिसका उत्तर सोमवार, 08 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

'नेशनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020' का कार्यान्वयन

1638. श्री मो. नदीमुल हक:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'नेशनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020' के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार एफ.ए.एम.ई योजना के अन्तर्गत 2020 तक 6 से 7 मिलियन ऐसे हाइब्रिड वाहनों की बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे चल रही है, यदि हां, तो अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्य के ब्यौरे सहित इसके कारण क्या हैं; और

(ग) एफएएमई योजना के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ग): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं उनके विनिर्माण के लिए विजन तथा रोडमैप उपलब्ध कराने वाला एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। इस योजना को राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा में वृद्धि करने, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने तथा वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने क लिए वर्ष 2015 में एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) तैयार की। फेम इंडिया योजना का चरण-I दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से मूलतः दो वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी। फेम इंडिया योजना को चरण-I को चार फोकस क्षेत्रोंरररर नामतः (i) मांग सृजन, (ii) प्रौद्योगिकी मंच (iii) प्रायोगिक परियोजना और (iv) चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। सभी वाहन सेगमेंटों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों पर प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार सृजन का लक्ष्य था। इसके व्यापक अंगीकरण के लिए इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहन (एक्सईवी) के खरीददारों को अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में मांग प्रोत्साहन उपलब्ध था। इस योजना के तहत प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक अवसंरचना घटकों के अन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान भी मंजूर किए गए। योजना के चरण-I में, ₹343

करोड़ (लगभग) के कुल मांग प्रोत्साहन के साथ लगभग 2.78 लाख एक्सईवी वाहनों की सहायता की गई। इसके अलावा, इस योजना के तहत विभिन्न शहरों/राज्यों को 465 बसें मंजूर की गई।

एनईएमएमपी 2020 के अन्तर्गत, वर्ष 2020 तक 6-7 मिलियन हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने का महत्वकांक्षी लक्ष्य है। फेम इंडिया योजना के चरण-I में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि योजना के संभावित परिणाम प्राप्त करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना की पर्याप्त संख्या होना अपेक्षित है, जिसका वर्तमान में फेम इंडिया योजना के चरण-II में समाधान किया जा रहा है।

भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मत्रिमंडल के अनुमोदन से का.आ.1300(ई), दिनांक 08 मार्च, 2019 के द्वारा योजना के चरण-II को अधिसूचित किया। योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अपफ्रंट प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहन के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना भी है। योजना के ब्यौरे विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) नई जीएसटी प्रणाली के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर पारंपरिक वाहनों हेतु 22% तक के उप-कर के साथ 28% जीएसटी की तुलना में 12% के निचले स्तर (कोई उप-कर नहीं) में रखा गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 'सेवा' के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में आकर्षक निवेश के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के मामले में परमिट में छूट से संबंधित अधिसूचना जारी की।

(iv) राज्य परिवहन विभागों/उपक्रमों आदि द्वारा 5000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।

******